दिनांक 15.12.2024
प्रेस विज्ञप्ति 19/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद हरदोई/थाना कछौना</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 15.12.2024 को थाना कछौना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त अतुल उर्फ सनी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद एटा, हरदोई, मैनपुरी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कछौना पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कछौना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अतुल उर्फ सनी निवासी खरौली थाना जैथरा जनपद एटा।

<u>जनपद जौनपुर/थाना मडियाहूँ</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 06 हजार रूपये नगद**
- **16 एटीएम कार्ड**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 15.12.2024 को थाना मडियाहूँ व थाना रामपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जमालपुर बंधवा रोड के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई

तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—राहुल 2—सागर घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 06 हजार रूपये नगद, 16 एटीएम कार्ड, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 14.12.2024 को थाना मडियाहूँ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मडियाहूँ पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त राहुल शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद जौनपुर, प्रतापगढ़ व कमिश्नरेट प्रयागराज के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मडियाहूँ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राहुल निवासी शेखपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

2—सागर निवासी अकारीपुर विश्वनाथगंज थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

1—लूट के 06 हजार रूपये नगद।

2—16 एटीएम कार्ड।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस आदि।

जनपद जौनपुर/थाना जलालपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 30 हजार रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 15.12.2024 को थाना जलालपुर व थाना नेवढ़िया की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरेंव नहर पुलिया के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो

बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–राजू घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–अशोक 3–बंशीलाल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 30 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके पास से बरामद रूपये चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जलालपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजू निवासी पुरैनी निकट पडरी बाजार थाना चुनार जनपद मिर्जापुर।

2–अशोक निवासी बरहीकला थाना फुलपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

3–बंशीलाल निवासी नेवढ़िया बाजार थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1–चोरी के 30 हजार रूपये नगद।

2–01 मोबाइल फोन।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना खतौली

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 15.12.2024 को थाना खतौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तिगाई मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त जावेद उर्फ चवन्नी

घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास,सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना खतौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जावेद उर्फ चवन्नी निवासी इस्लामनगर थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर, हालपता मोहल्ला श्यमानगर खजूर के पेड़ थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

जनपद चन्दौली/थाना चकिया

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 620 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक आदि बरामद**

दिनांक 14.12.2024 को थाना चकिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शिकारगंज, पोखरे के पास से अभियुक्त मोहन श्याम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 620 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना चकिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–मोहन श्याम निवासी 150 भरनाकला छटा थाना बरसाना जनपद मथुरा।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 620 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक आदि।

<u>एस0टी0एफ0–जनपद बलरामपुर से डकैती की घटना में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी ननकू उर्फ रामकुमार उर्फ लाले गिरफ्तार।</u>

दिनांकः 15–12–2024 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना महराजगंज तराई, जनपद बलरामपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 115/2024 धारा 310(2), 317 बीएनएस में वांछित रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त ननकू उर्फ रामकुमार को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>अभियुक्त का विवरणः–</u>

ननकू उर्फ रामकुमार उर्फ लाले पुत्र छोटेलाल निवासी खटिकरनपुरवा, इन्सपेक्टर पुरवा, दिनामगढ़, थाना इकौना, बस्ती।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थानः–</u>

रेलवे स्टेशन झारखण्डी, के सामने थाना क्षेत्र कोतवाली नगर, जनपद बलरामपुर। दिनांक 15–12–2024 समय 09.40 बजे प्रातः।

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उ0नि0 श्री अमित कुमार तिवारी के नेतृत्व में उ0नि0 विद्यासागर, मु0आ0 आलोक पाण्डेय, स्वरूप पाण्डेय चालक अफजाल की एक टीम जनपद बलरामपुर में भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना महराजगंज तराई, जनपद बलरामपुर से डकैती की घटना में वांछित रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित अभियुक्त रेलवे स्टेशन झारखण्डी के पास आने वाला है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा रेलवे स्टेशन झारखण्डी, के सामने थाना क्षेत्र, कोतवाली नगर, जनपद बलरामपुर से वांछित अभियुक्त ननकू उर्फ रामकुमार को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ननकू ने बताया कि उसका एक संगठित गिरोह है जो चोरी व डकैती की घटनाओं को अंजाम देता है। इसके गिरोह में 5–6 सदस्य शामिल है। वह अपने गिरोह के सदस्यों के साथ जनपद गोण्डा के थाना क्षेत्र खरगोपुर में कुछ दिन पूर्व की बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। जनपद बलरामपुर के थाना क्षेत्र महराजगंज, तराई में डकैती की घटना को अंजाम दिया था। थाना क्षेत्र ललिया, बलरामुपर में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। घटनाओं को अंजाम देने के बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आदि शहरों में छिपकर रहता है। कुछ दिन पूर्व ही अपने घर आया हुआ था जो नेपाल भागने की फिराक में था। इसके विरूद्ध अलग–अलग जनपदों के विभिन्न थानों में लगभग आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। जिसके सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त ननकू उर्फ रामकुमार उपरोक्त का निम्न अपराधिक इतिहास ज्ञात हुआ है:–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	121/21	379 भादवि	इकौना	श्रावस्ती
2	169/22	4/25 आर्म्स एक्ट	इकौना	श्रावस्ती
3	568/16	3/25ए, 4/25 आर्म्स एक्ट व 401 भादवि	इकौना	श्रावस्ती
4	1426/16	4/25 आर्म्स एक्ट 401 भादवि	इकौना	श्रावस्ती

5	229/24	305, 331(4) बीएनएस	खरगोपुर	गोण्डा
6	157/24	305(ए), 331(4) बीएनएस	ललिया	बलरामपुर
7	115/24	310(2), 317 बीएनएस	महराजगंज तराई	बलरामपुर

अभियुक्त ननकू उर्फ रामकुमार उपरोक्त को थाना महराजगंज तराई, जनपद बलरामपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 115/24 धारा 310(2), 317 बीएनएस में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————————